बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (भागलपुर) 02–40/2022–...............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......................................

श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–2533/रा0, दिनांक–09.05.2022 द्वारा विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया जिसमें दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में फीफो का अनुपालन नहीं करना तथा Pick and choose नीति के आधार पर आवेदनों का निष्पादन करना, लोक भू अतिक्रमण से संबंधित पंजी/अभिलेख का संधारण नहीं करना, जमाबंदी/लगान इन्ट्री के अद्यतीकरण में लापरवाही, शिथिलता एवं अभिरूचि नहीं लेना, न्यायालय कार्यो में अभिरूचि नहीं लेना, भू–लगान वसूली में वित्तीय वर्ष 2021–22 में लक्ष्य 134.00 लाख रूपये के विरूद्ध 33.12 लाख रूपये की वसूली की गई, जो अत्यंत ही खेदजनक एवं राजस्व हित के प्रतिकूल है एवं अंचल कार्यालय, गोराडीह में कार्यरत कर्मियों/कार्य संस्कृति पर नियंत्रण नहीं होना यथा–विभागीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त परिवादों का कोई पंजी संधारित नहीं होना और न ही विधिवत तरीके से जॉचकर संचिकाबद्ध करने जैसे आरोप प्रतिवेदित है।

2. आरोप पत्र में अंकित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–871(15), दिनांक–28.06.2022 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की मांग की गयी, वांछित स्पष्टीकरण के निमित्त विभागीय पत्रांक–1261(15) दिनांक–25.08.2022 एवं पत्रांक–1905(15) दिनांक–08.12.2022 द्वारा स्मारित किया गया। कई बार स्मारित किये जाने के बावजूद आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने का अभिप्राय है कि आरोपों के संदर्भ में इन्हें कुछ नहीं कहना है अथवा बचाव के पक्ष में इनके पास कोई तथ्य नहीं है। साथ ही आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया जाना वरीय पदाधिकारी के आदेश के उल्लंघन का परिचायक भी है।

3. विभागीय संकल्प सं0–1064(15), दिनांक–29.05.2023 द्वारा श्री भूषण (सेवानिवृत्ति की तिथि–31.12.2022) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत विस्तृत जाँच किये जाने का निर्णय लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री भूषण के विरूद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। साथ ही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–17(2) के प्रावधानों के तहत श्री भूषण के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें अपर समाहर्त्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर के पत्रांक–123/वि0जाँच, दिनांक–06.12.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें लगाये गये छः आरोपों में से दो आरोप प्रमाणित तथा तीन आरोप अंशतः प्रमाणित पाया गया।

5. प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत "01 (एक) वर्ष तक पेंशन राशि का 05(पाँच) प्रतिशत कटौती का दण्ड" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

6. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (**दिनांक–31.12.2022**) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139 के संगत प्रावधानों के तहत **"01 (एक) वर्ष तक पेंशन राशि का 05(पाँच) प्रतिशत कटौती का दण्ड"** अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

निबंधित
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–40/2022–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..............................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/समाहर्त्ता, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (पता–**ज्ञानेन्द्र मुखर्जी रोड, भिखनपुर, गुमटी नं0–1, भागलपुर, पिन–812001**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (भागलपुर) 02–40/2022–890(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–19.06.26

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (**मूल प्रति में**)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 से अनुरोध है कि उक्त दण्ड की प्रविष्टि **श्री नवीन भूषण** के सेवापुस्त में कराते हुए प्रशाखा–15 को अवगत कराने की कृपा की जाए।

17.6.26

(डॉ0 महेन्द्र पाल),
सरकार के अपर सचिव।

4